



जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु

—: आम सूचना :—

विज्ञापन संख्या— 01 / 2023—24

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक— 4729 दिनांक— 04.06.07, ज्ञापांक— 6440 दिनांक—17.07.12 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012, ज्ञापांक—848 दिनांक—21.03.17 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या— 2020, दिनांक— 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक— 1617, दिनांक— 17.03.2023 आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)- 2005 की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार निम्न रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है:—

क्र०	पदनाम	आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की संख्या						कुल रिक्त पद
		अनारक्षित	अ०क०वर्ग	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व०	पि०व०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	03	01	00	02	02	01	09
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	04	00	00	00	02	01	07
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	12	03	02	04	03	02	26
4	लेखा सहायक	01	00	01	01	00	00	03
5	कम्प्यूटर सहायक	03	00	00	01	02	01	07

नोट :- रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है।

नियुक्ति के नियम एवं शर्तें

1. आरक्षण :-

- आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवास प्रमाण पत्र (आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 एवं पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे)।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / खेलकुद के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं। उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 एवं पत्रांक 156 दिनांक 06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत्त निर्धारित आदेश / विहित प्रपत्र (देवघर जिला के लिए प्रभावी) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

2. राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित होंगे।
3. **राष्ट्रीयता** :-आवेदक भारत का नागरिक हो।
4. **मेधा सूची** :- जिला में तैयार मेधा सूची की अवधि 02 (दो) वर्षों की होगी।

5. **शैक्षणिक योग्यता** :-**(प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए)**

(i) **अनिवार्य योग्यता**—सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता**—

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिया जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

b. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

6. **शैक्षणिक योग्यता** :-**तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए)**

(i) **अनिवार्य योग्यता**—सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता**—

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

b. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

7. **शैक्षणिक योग्यता** :-**तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष पद के लिए)**

(i) **अनिवार्य योग्यता**—सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। (सिविल संकाय में बी0ई0/बी0टेक0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु योग्य होंगे)

(ii) **अतिरिक्त योग्यता**—

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर/बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

b. बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

c. एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

8. शैक्षणिक योग्यता :- (लेखा सहायक पद के लिए)

(i) अनिवार्य योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम आनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम०कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

9. शैक्षणिक योग्यता :- (कम्प्यूटर सहायक पद के लिए)

(i) अनिवार्य योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे।

बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स/बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य/बी०सी०ए०/सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

नोट :-अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ कमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण से संबंधित CGPA/SGPA/DGPA/GRADE या अन्य मार्कशीट समर्पित करेंगे तो उन्हें अपने संबंधित COLLEGE/UNIVERSITY/INSTITUTE से प्राप्त ग्रेड इत्यादि का प्रतिशत में अंतरण करा कर प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

10. आयु सीमा—दिनांक— 01.09.2023 तक न्यूनतम आयु विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी एवं अधिकतम निम्नांकित तालिकानुसार होगा:—

क्र०	पदनाम	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	2	3	4
1	अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	35 वर्ष	45 वर्ष
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आ०क०वर्ग) (पुरुष)	35 वर्ष	45 वर्ष
3	पिछड़ा/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष)	37 वर्ष	47 वर्ष
4	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS))	38 वर्ष	48 वर्ष
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष

11. परिलब्धि:—उक्त विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ निम्नवत होगी।

क्र०	पदनाम	Monthly Honorarium(in Rs.)for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium(in Rs.) for 5 years of more experience
1	2	3	4
1	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140.00	23700.00
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000.00	22500.00
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000.00	19500.00
4	लेखा सहायक	14300.00	14800.00
5	कम्प्युटर सहायक	14300.00	14800.00

12. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जायेगी।
13. जिला चयन समिति, देवघर द्वारा मेधासूची को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।
14. चयन संबंधी प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
15. प्रारंभिक चरण में नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कार्यावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
16. उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन देवघर जिला के किसी भी प्रखंड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
17. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की

परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों की सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

18. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यतानुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेंगे। परन्तु अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदन हेतु प्रयुक्त लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य होगा।
20. उल्लेखित सभी निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने कि दशा में समर्पित अभ्यावेदन अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
21. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
23. इस कार्यालय के ज्ञापांक 1462 दिनांक 04/09/2021 PR NO. 252755 देवघर) D द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को इस कार्यालय के ज्ञापांक 2039 दिनांक 06/12/2021 PR NO. 258632 देवघर (2021-22) द्वारा रद्द किया गया है। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित किये सभी अभ्यर्थी यदि इच्छुक है तो उन्हें पुनः इस वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।
24. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 4729 दिनांक- 04.06.07, नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017, ज्ञापांक-848 दिनांक-21.03.17 में वर्णित अन्य नियम एवं शर्तें प्रभावी होगी।

25. आवेदन कैसे जमा करें :-

(क) आवेदक के द्वारा दिनांक 09/09/23 से दिनांक 25/09/23 के अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट <https://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

1. स्वहस्ताक्षरित फोटो।
2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र।
3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र।
4. आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
7. शपथ प्रमाण पत्र।


(ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गयी सभी विवरणी का पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/झाड़विंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।

(ङ) निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
(च) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समक्षा जायेगा।

नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.deoghar.nic.in एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।


07/09/23.
उपायुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
देवघर।



Government of Jharkhand

Recruitment Portal (Rural Development) (../index.aspx)

Application No:-		Self Attested
Post:-		
Parent State:-		
Name :-		
Father's/ Husband's Name:-		

Mother's Name		Date Of Birth	
Gender		Reservation Category	
Mobile No		eMail ID	
Marital Status		Nationality	
Present Address		Permanent Address	

Local Resident Certificate, Caste Certificate & Income and Asset Certificate To Be Produced By Economically Weaker Sections Of Jharkhand. (आरक्षण के दाया करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

Letter No		Issue Date		District		Issuing Authority		View
-----------	--	------------	--	----------	--	-------------------	--	------

Physically Handicapped (PH)

(For Ph Candidates, disability percentage should be above 40 only will be considerable)

Affidavit		Are You physically disabled: - Yes/No		Issuing Authority		Percentage-
-----------	--	---------------------------------------	--	-------------------	--	-------------

Are you and EX- Serviceman- Army/Air Force/Navy?- Yes/No

Essential Qualification (Matric/Inter/Other As per Advertisement)

Qualification	Board/University	Course Type	Passing Year	Obtained Marks	Percentage of Obtained Marks	Docs
Matriculation						
Inter						
Graduation						
Post Graduation						
Diploma/Other's						

Additional Qualification (As Per Advertisement)

Qualification	Board/University	Course Type	Passing Year	Percentage of Obtained Marks	Docs

Declaration:

"I herby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements of the post, my candidature /appointment is liable to be cancelled/terminated."

Signature of Cadidate